संख्या- 48/2016/1874/30-3-16-16बी/2013

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 29 जुलाई 2016

विषय- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अमेठी के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि/तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1545ए/2016-35ए/2013, दिनॉक 12-07-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अमेठी के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-28/288/30-3-14-16बी/2013, दिनॉक 04-03-2014 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की आंकलित लागत रू0 408.34 लाख (रूपये चार करोड़ आठ लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 28-03-2013 में निहित निर्देशानुसार प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 204.17 लाख (रू0 दो करोड़ चार लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त 50 प्रतिशत धनराशि के निर्धारित 75 प्रतिशत अंश का उपभोग कर लिये जाने एवं निर्माण कार्य के संतोषजनक होने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-82/2015/2082/30-3-15-16बी/2013 दिनॉक 30-09-2015 द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अमेठी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि/द्वितीय किस्त रू0 204.17 लाख के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रू0 10000 हजार (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त कार्य हेतु कुल स्वीकृत धनराशि रू0 304.17 लाख के 75 प्रतिशत अंश का उपभोग कर लिये जाने एवं निर्माण कार्य के संतोषजनक होने के फलस्वरूप सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अमेठी के अनावासीय भवन के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवशेष धनराशि/तृतीय किस्त रू0 104.17 लाख की प्रावधानित धनराशि को अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अमेठी के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम/द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः जारी किये

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गये शासनादेश संख्या-28/288/30-3-14-16बी/2013, दिनॉक 04-03-2014 एवं शासनादेश संख्या-82/2015/2082/30-3-15-16बी/2013 दिनॉक 30-09-2015 में निहित शर्तें व प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय अमेठी में भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-48/2016/1874(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), अमेठी।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 (उत्तर प्रदेश जल निगम)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in